

16<sup>11</sup>/<sub>22</sub> पत्रावली पेश हुई। कोई भी  
 उपाधिकार नहीं होय। वादी द्वारा परिशिष्ट  
 में बल्लू देव काजी समस्त वलकाना  
 प्रान्तुर नहीं किए जा रहे जिन्हें वादी  
 की उच्च वाद को आगे चलाने की  
 रुचि नहीं है। वादी के द्वारा  
 वलकाना प्रान्तुर नहीं होने से उच्च वाद  
 09/05 में खालि किया जा रहा है। पत्रावली  
 फॉर्मल शुमार होकर नष्ट हो रहा है।  
 बाद में उचित प्रयास है।

उपखण्ड अधिकारी  
 बहरोड़ (अलवर) राज०